संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ रायपुर

Directorate of Town & Country Planning, Chhattisgarh Raipur

...लय
...ए. बिल्डिंग, शास्त्री चौक,
... – 492 001
... – 0771–4284500, 4066812
... – 0771–4284514,
... cg_townplan@hotmail.com

HEAD OFFICE :
R.D.A. Building, Shastri Chowk,
Raipur – 492 001
Tel. : 0771 - 4284500, 4066812
Fax: 0771 - 4284514
Email : cg_townplan@hotmail.com

क्रमांक/ 146 /LA-13/नग्रानि./2012 रायपुर, दिनांक 06 /02/2012

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय कार्यालय _______________ (छ0ग0)।

विषय :– अनुज्ञप्ति की सक्षमता/छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 मे संशोधन बाबत्।

संदर्भ :– छ0ग0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–21/2010/32 रायपुर दिनांक 19.10.2011

—————00—————

उपरोक्त विषयांतर्गत, छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 26 में (संशोधन) संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 1–21/2010/32 रायपुर दिनांक 09 सितम्बर 2011 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। आदेशानुसार नियम/निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(संदीप बांगडे)
प्र. संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
रायपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

क्रमांक एफ 1–21/2010/32 — रायपुर, दिनांक 19/10/2011

प्रति,

1. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय रायपुर।

2. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
रायपुर।(छ.ग.)

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,
रायपुर। (छ.ग.)

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर। (छ.ग.)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक 24 OCT 2011

विषय :– **छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन।**

—00—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में दिनांक 09.09.2011 को प्रकाशित अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(जी.एल.साकला)
अवर सचिव

"बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2011—भाद्र 18, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-21/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) को सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 26 के उप-नियम (९) (क) के उप-खण्ड (घ) में, शब्द एवं अंक "1 हेक्टेयर" के स्थान पर तथा नियम 26 के उप-नियम (९) (क) के उप-खण्ड (ङ) में, शब्द एवं अंक "1 हेक्टेयर" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "2 हेक्टेयर" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 26 के उप-नियम (९) (ख) के उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(क) सभी भवनों चाहे वे किसी भी आकार एवं ऊंचाई के हों, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं."

3. नियम 26 के उप-नियम (९) (ग) के उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(क) सभी भवनों चाहे वे किसी भी आकार एवं ऊंचाई के हों, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं."

4. नियम 26 के उप-नियम (9) (ई) के उप-खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"नोट :—तथापि, 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के विकास अनुज्ञा हेतु, भूमि अभिन्यास के लिये लैण्डस्केप आर्किटेक्ट को भी सम्बद्ध किया जायेगा एवं, मार्गों, जल-आपूर्ति, सीवरेज/ड्रेनेज विद्युतीकरण इत्यादि, भूमि विकास अधोसंरचनात्मक सेवाओं के लिये उपयोगी सेवाओं हेतु पंजीकृत इंजीनियरों को सम्बद्ध किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-21/2010/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-09-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

Raipur, the 9th September 2011

NOTIFICATION

No. F-01-21/2010/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby makes the following further amendments in Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-clause (d) of sub-rule (9) (A) of Rule 26, for the word and figure "1 hec" and in sub-clause (e) of sub-rule (9) (A) of Rule 26 for the word and figure "1 hectare", the word and figure "2 hectare" shall be substituted respectively.

2. For sub-clause (a) of sub-rule (9) (B) of Rule 26, the following shall be substituted, namely :—
"(a) All plans and information connected with permission for all building irrespective of size and height."

3. For sub-clause (a) of sub-rule (9) (C) of Rule 26, the following shall be substituted, namely :—
"(a) All plans and information connected with permission for all building irrespective of size and height."

4. After sub-clause (a) of sub-rule (9) (E) of Rule 26, the following shall be inserted, namely :—
"Note—However, for land layouts for development permit above 5 hectare in area, landscape architect shall also be associated and for land development infracructural services for roads, water supplies, sewerage/drainage electrification etc., the registered engineers for utility service shall be associated."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. S. BAJAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.